परमजीत कौर **बनाम** गोविन्द सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 41 सन् 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/344

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 64/71 के मुरब्बा नम्बर 68, 86/24 की कुल 5.039 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 16/13 के मुरब्बा नम्बर 68, 86/52 की कुल 1.260 हेक्टैयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया को अदालत की डिक्री से 0.719 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और आज भी नहीं है। विरास्तन से उसको 0.210 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है, जिसकी वह कानूनन खातेदार है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया प्रश्नगत भूमि में से किसी प्रकार की भूमि प्राप्त करने की हकदार नहीं है। मंगल सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 0.840 हैक्टेयर भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई है, जो अब उनकी पृथक सम्पति की परिभाषा में आती है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थिया को हक हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह साक्ष्य में तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थिया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 64/71 के मुरब्बा नम्बर 68, 86/24 की कुल 5.039 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 16/13 के मुरब्बा नम्बर 68, 86/52 की कुल 1.260 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	